(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3479—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—09—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1371/अपील/2011—12.

.....

राजभान शुक्ला तनय श्री तुलसीदास शुक्ला
निवासी ग्राम सुरदहाकला तहसील नागोद
जिला सतना म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

उदयभान सिंह तनय दरियाव सिंह
निवासी ग्राम सुरदहाकला तहसील नागोद
जिला सतना म0 प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री मनोज कुमार तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 05/07/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11—09—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत्त प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त जसो के राजस्व प्रकरण कमांक 10/अ—70/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 7.5.10 से धारा 250 का आवेदन निरस्त कर दिया गया था जिससे परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के न्यायालय में प्रकरण कमांक 52/अपील/09—10 में पारित आदेश दिनांक 30.11.10 से आवेदक की अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ

प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके की जांच कर प्रकरण में गुण दोष के आधार पर विधि संगत आदेश पारित करने का आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में जांच उपरांत अनावेदक उदयभान सिंह तनय दरियाव सिंह का कब्जा पाते हुये 30 दिवस के अन्दर बेदखल करने के आदेश दिये इससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 66/अपील/2011–12 पर दर्ज होकर दिनांक 10.7.12 को अपील अस्वीकार की गई जिससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसे प्रकरण कमांक 1371/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11. 9.14 को अपील स्वीकार की गई जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमि खसरा न0 801/2ख रकवा 0.418 है0 स्थित ग्राम सुरदहा कला का सीमांकन कराया जिसमें पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि के एक बीघा 10 विस्वा पर अनाधिकृत कब्जा हे व नक्शा तरमीम व सीमांकन की पुष्टि दिनांक 20.6.2000 द्वारा की गई जो आदेश अंतिम रहा किन्तु उक्त आदेश के पालन में नक्शें में लाल स्याही से अंकित नहीं किया गया जिसके बावत निगराकार द्वारा नक्शे में लाल स्याही से अंकित करने का तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन दिया गया पर तहसीलदार द्वारा नक्शे में लाल स्याही से उक्त भूमि का नक्शा तरमीम अंकित करने का आदेश दिनांक 3.8.01 द्वारा दिया गया। तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अनावेदक को लाभ पहुंचाने की नियत से आलोच्य आदेश पारित करते समय राजस्व न्यायालयों द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकारित व संहिता के विहित प्रावधानों के बाहर जाकर तथ्यों की व्याख्या की है जो अधिकारिता रहित होने से निरस्त करने का निवेदन किया गया है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि मुख्य रूप से अपने निष्कर्ष में यह मांना है कि गैर निगरानीकर्ता के द्वारा अनाधिकृत कब्जे की जानकारी निगराकार का दिनांक 26.6.2000 के सीमांकन के समय से हो गई थी व उसके द्वारा बेदखली बावत धारा 250 का आवेदन वर्ष 2010 में दिया गया है व तहसील को मात्र 2 वर्ष के कब्जे के बेदखली का आदेश देने की अधिकारिता है किंतु उन्होने इस बात पर विचार नही किया जानबूझकर लोप किया कि जिस सीमांकन से अनावेदक बेजा कब्जे की

जानकारी हुई इस सीमांकन बावत अनावेदक विभिन्न न्यायालयों में निगरानीकर्ता रहा व सीमांकन आदेश के बावत अंतिम निष्कर्ष अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के निगरानी प्रकरण कमांक 197/निग0/04–05 में आदेश दिनांक 9.1.08 द्वारा हुआ जो आदेश अंतिम रहा उसके पश्चात भी अनावेदक द्वारा जब आवेदक की भूमि से अप्राधिकृत कब्जा नहीं छोडा गया तब उसके उक्त निगरानी प्रकरण में पारित अंतिम आदेश के दो वर्ष के भीतर ही दिनांक 29.4.09 को तहसील नागौद के न्यायालय में धारा 250 के तहत बेदखली का आवेदन पेश कर दिया जो संहिता के विधितः प्रावधानों व समय सीमा के भीतर था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने 250 म0 प्र0 भू– राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत समय सीमा में न मानकर कानूनी भूल की है। अंत में उनके द्वारा तर्क किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा दो न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष जो संहिता के प्रावधानों के तहत उभयपक्षों को सुनकर व स्वयं स्थल निरीक्षण कर पारित किया था, को निरस्त करने में महान कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क किया है कि आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त जसो तहसील नगौर के समक्ष धारा 250 के तहत एक आवेदन दिनांक 29.4.09 को प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रकिया के विरूद्व जाकर अनावेदक के विरूद्व बेदखली का आदेश दिनांक 13.12.11 को प्रसारित की जाती है उक्त बेदखली आदेश के विरूद्व अनावेदक प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें बेदखली के आदेश को यथावत रखा गया था जिससे गैरनिगराकार द्वितीय अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत था जिसमें विद्वान न्यायालय के द्वारा विधिसम्यक बारीकी से प्रकरण का परिशीलन करके दिनांक 11.9.14 को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करके द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बहस में यह भी कहा गया है कि आवेदक की वादग्रस्त आराजी कमांक 801/2ख की सीमांकन की पुष्टी दिनांक 3.8.01 को की जाती है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी की सीमांकन की कूटरचित कार्यवाही पीठ पीछे नक्शा तर्मीम के पहले की जाती है जो अपने आप में गैर कानूनी है एवं विधि विरूद्व है। चूंकि धारा 250 कीकार्यवाही उक्त सीमांकन एवं नक्शा तर्मीम पर आधारित है इसलिये

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने योग्य है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक 1371/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11.9.14 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवेदक नायब तहसीलदार वृत्त जसो के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत दिनांक 29.4.09 को बेदखली का आवेदन पेश किया था वह 10 वर्ष बाद दिया गया था जो कि संहिता की धारा 250 की परिधि में नहीं आता। स्पष्ट है कि तहसीलदार को 10 वर्ष के वेजा कब्जा को हटाने की आदेश देने की अधिकारिता नहीं है देरीना पुरानेकब्जे का संबंध स्वत्व पर निहित होता है, जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, अतः विद्वान अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का बोलता हुआ आदेश दिनांक 11.9.14 विधि सम्यक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है इसलिये प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण कमांक 185/अ–12/98–99 के द्वारा दिनांक 23.5.99 को मौके से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया जिसमें यह पाया गया है कि उभयपक्ष के मध्य स्वत्व व कब्जे का विवाद है। आवेदक के भूमि स्वामित्व की आराजी नम्बर 801/2ख रकवा 0.418 है0 के अंश भाग एक बीघा 10 विस्वा पर बेजा कब्जा अनाधिकृत रूप से अनावेदक उदयभान का पाया गया था, जिसमें शांति पूर्वक कब्जा न हटाने पर सिविल जेल की कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित करने हेतु निर्देश नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये थे यह उल्लेख नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.12.11 में उल्लेख किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त जसो का आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है क्यों कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य का विधिवत विवेचना कर तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण कर विधि एवं प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश में यह कहते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं कि आवेदन पत्र 10 वर्ष बाद दिया गया है जो कि संहिता की परधि में नहीं आता है। नायब तहसीलदार को कब्जे हटाने के संबंध में संहिता

की धारा 250 के संबध में आदेश देने की अधिकांरिता नही थी, लेकिन अनावेदक अन्य न्यायालयों में निगरानी करता रहा है इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है जिससे आदेश दिनांक 11.9.14 त्रुटि पूर्ण आदेश है, क्यों कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 197/निगरानी/04–05 में आदेश दिनांक 9.1.08 द्वारा हुआ जो आदेश अंतिम रहा उसके पश्चात भी अनावेदक उदयभान द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 1371/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11.9.14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार वृत्त जसो का प्रकरण कमांक 10/अ–70/08–09 में पारित आदेश दिनांक 13.12.11 एवं अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना का प्रकरण कमांक 66/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20.7.2012 उचित होने से स्थिर रखे जाते है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर